न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोह)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

प्रा0पत्र	तारीख रजू	तारीख निर्णय
3/4/18	13.04.2018	17.05.2018

उनवान

1. रसीद खां पुत्र श्री अतर खां जाति मेव निवासी ग्राम तिस्मर तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.... अप्रार्थी

(प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम)

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 19 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 287 रकबा 0.23 हैक्ट0 वाके ग्राम तिस्मर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और काबिज है और वादी के अलावा अन्य किसी दीगर शख्स का कोई हक व हिस्सा नही है। प्रार्थी का उपरोक्त आराजी में 1/2 हिस्सा है। जमाबन्दी आदि में उकत आराजी के कब्जे काश्त के खाने में वादी को 1/2 भाग का काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज किया हुआ है। दिनांक 04.04.18 को जब प्रार्थी क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का के पास जमाबन्दी आदि की नकले लेने गये तो पटवारी हल्का ने बताया कि जमाबन्दी में तुम्हारा नाम रसीद खां की बजाय रसीद अहमद दर्ज किया हुआ है इसको दुरूस्त कराकर लाओ इस पर प्रार्थी तहसीलदार साहब से मिला तो तहसीलदार साहब ने कहां कि आदेश लेकर आओं। जिस हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 19 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 287 रकबा 0.23 हैक्ट0 वाके ग्राम तिस्मर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है में जो 1/2 भाग वादी के नाम की जगह रसीद अहमद दर्ज किया हुआ है उसे दुरूस्त कर रशीद खां पुत्र अतरखां दर्ज किया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत किया जो इस

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

प्रकार है कि वाके ग्राम तिस्मर में खसरा नम्बर 287 रकबा 0.24 हैक्ट0 वर्तमान जमाबन्दी अनुसार सम्वत 2070–73 के अयुब व रसीद अहमद पिता अतर खां जाति मेव दर्ज है। जो वक्त बैयनामा रसीद अहमद गलत दर्ज हो गया जबकि अन्य खाते में खाता में जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में रसीद पुत्र अतरखां जाति मेव दर्ज है। अन्य राशनकार्ड , भामाशाह कार्ड अन्य आईडी के अनुसार रसीद पुत्र अतर खां जाति मेव किया जाना उचित है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट / शिविर ग्राम पंचायत खोह में दिनांक 17.05.2018 को पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार की जांच रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 19 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 287 रकबा 0.23 हैक्ट0 वाके ग्राम तिस्मर तहसील रामगढ जिला अलवर में जो 1/2 भाग प्रार्थी के नाम की जगह रसीद अहमद दर्ज किया हुआ है उसे दुरूस्त कर रशीद खां पुत्र अतरखां दर्ज किया जावें। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट खोह में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)